उत्तर प्रदेश में एल० पी० जी० गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पम्पों की डीलरशिप को रद्द किया जाना

4766. चौधरी हरमोहन सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की उन एल०पी०जी० एजेंसियों तथा पेट्रोल पम्पों की संख्या कितनी है जिनकी डीलरशिप तथा वितरण के लाइसेंस 1992–93 में रद्द कर दिये गये थे;

(ख) प्रत्येक मामले में रद्द किये जाने के क्या-क्या कारण हैं,

(ग) ऐसी एजेंसियों और डीलरों के नाम क्या–क्या हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि डीलरशिप तथा वितरण के लाइसेंस रद्द किये जाने के बाद कदाचार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में कानपुर में स्थित एक खुदरा बिक्री केन्द्र मै० गोपीनाथ ब्रदर्स और पीलीभीत स्थित एक एल० पी० जी० वितरण केन्द्र मै० पदमराज गैस, को वर्ष 1992–93 में परिसमाप्त किया गया था। उक्तखुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिप को इसलिए परिसमाप्त किया गया था, क्योंकि उसने जाली पत्र के आधार पर एस० के० ओ०–एल०डी०ओ० की डीलरशिप का भी दावा किया था, जबकि एल० पी०जी० वितरण केन्द्र को विपणन अनुशासन मार्ग निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण परिसमाप्त किया गया था ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

हरियाणा वासियों को पानीपत तेल शोधक कारखाने में रोजगार के लिए प्राथमिकता दिया जाना

4767. श्री रामजी लाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के उद्यमियों को पानीपत (हरियाणा) में स्थापित किये जाने वाले तेल शोधक कारखानों के साथ–साथ सहायक उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(ख) क्या हरियाणावासियों को इस तेल शोधक कारखाने के द्वारा रोजगार दिया जा रहा है/दिये जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में तेल शोधक कारखाने/भारतीय तेल निगम को हिदायत जारी की हैं; और

(घ) यदि नहीं तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) यद्यपि फिलहाल मौजूदा रिफाइनरी के साथ–साथ सहायक इकाइयां स्थापित करने का कोई प्रावधान नहीं है, फिर राज्य सरकार/निजी उद्यमियों द्वारा ऐसी इकाइयों के स्थापित किए जाने की संभावना मौजूद है ।

(ख) से (घ) फिलहाल पानीपत रिफाइनरी निर्माण चरण में है और कोई भर्ती नहीं की जा रही है। जब और जैसे ही इस परियोजना के लिए रिक्तियां होंगी तो उन रिक्तियों को स्थानीय रोजगार कार्यालय के लिए अधिसूचित किया जाएगा जो गैर अधिकारी श्रेणी में प्रारंभिक स्तर को

भर्ती के लिए निर्धारित कार्य संबंधी अपेक्षाएं पूरी करने वाले स्थानीय उम्मीदवारों के नाम भेजेगा। परन्तु अधिकारी श्रेणी में भर्ती प्रेस विज्ञापनों के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर की जाती है।

Dissolution and Reconstitution of Oil Selection Boards in States

4768. SHRI S. S. SURJEWALA : Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state :

(a) whether Government have dissolved the State Oil Selection Board in the country;

(b) what were te reasons for the abolition of these Oil Selection Boards;

(c) whether these Boards have been reconstituted in some States, if so, the names thereof alongwith the names of the Chairman/Members of the newly constituted Boards;

(d) whether Government have received complaints of corruption against the Chairman of Haryana Oil Selection Board, if so, what is the nature of such complaints; and

(e) whether Government have reappointed Chairman of the dissolved Haryana Oil Selecton Board, if so, what are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA) : (a) and (b) The tenure of Chairman and Members of seven Oil Selecion Boards were terminated on March 2, 1994, as the functioning of the Boards was not found satisfactory.

(c) Six out of the above seven OSBs have since been reconstituted. A list giving the names of Chairman and Members of the reconstituted OSBs is given in the statement (*see* below).

Statement

Names of Chairmen and Members of Oil Selection Boards—Reconstituted Boards with effect from 16-3-1994.

Sl No.	State	Chairman	Member-I	Member-II
1.	Bihar	Justice S. K. Hazari, Retd. High Court, Judge.	Dr. Tagani Ram	Shri Shamim Hashmi
2.	Uttar Pradesh	Justice S. H. Abidi, retd. High Court Judge.	Vacant	Shri Jai Narayan Tiwari, Ex-MLA, Isauli, Sultanpur
3.	Maharashtra	Justice M. R Agnihotri, Retd. High Court, Judge.	Vacant	Shri Naresh Pugalia Ex-M.P.
4.	Karnataka	Justice S. D. Bajaj/ Retd. High Court Judge.	Vacant	Shri Haji Wasim, Ex-MLA, Tiloi.
5.	Punjab	Justice Parameshwar Dayal, Retd. High Court, Judge.	Shri R. S Nautiyal	Shri Kalyan Singh Gandai.
6.	Haryana	Justice Harbans Lal, Retd. High Court Judge.	Vacant	Shri Prakash Aggarwal.

(d) and (e) Complaints were also received about the functioning of OSB for Haryana. The appointment has been made at the discretion of the Government in public interest.